न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– कमला अलारिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 75/2015

आशाराम पुत्र नानकराम जाति मोची निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री श्याम सुन्दर चाण्डक एवं श्री संजीव कालिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 02
3. पैरोकार राज

निर्णय   दिनांकः 30.03.2022

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 07.09.2006 जिसके द्वारा अपीलांट का रोही सूरतगढ़ के खसरा न. 259 का 2.100 है0 व खसरा न. 260 में 4.200 है0, कुल 6.300 है0 टी.सी. आवंटित रकबा पैराफेरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।
2. अपील मीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2006 अपीलांट को बिना सुने, बिना साक्ष्य के जारी कर अपीलांट के 47 वर्ष पुरानें टी.सी.आवंटन को अपने ही कयासो के आधार पर खारिज कर दिया। अपीलान्ट को उक्त भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते सन 1995 के प्रावधानो के अन्तर्गत दिनांक 22.07.1975 को अस्थाई पट्टा पर आवंटित हुई थी, जिसका आवंटन सें लेकर संवत 2061 तक लगातार नवीनीकरण होता रहा जिसकी संलग्न रसीदे पत्रावली में शामिल है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.09.2006 में यह अंकित किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि नगरपालिका की परिधि में आ चुकी है, इसलिए नवीनीकरण नही किया जा सकता। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका पैराफरी क्षेत्र में आना मानकर अपीलांट का रकबा खारिज फरमा दिया गया व रकबा बहक सरकार लेने के आदेश दे दिये। रिपोर्ट के संदर्भ में पटवारी हल्का के शपथ पत्र व ब्यान नही लिए गये। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय की सूचना अपीलांट को नही दी। मातहत न्यायालय ने अपीलांट का रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर उक्त रकबा खारिज कर दिया जबकि अपीलांट का उक्त रकबा 8 किमी की ज्यादा दूरी पर है अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्व हो सके कि अपीलांट का रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी कब्जा काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आवंटन समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा है व रकम कायम होती रही तथा अपीलांट का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। अपीलांट ने उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। अधीनस्थ न्यायालय को मेरा उक्त टी.सी. आवंटन खारिज करने का अधिकार नहीं है। अपीलाधीन आदेशों में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाला दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं प्रश्नगत भूमि वर्ष 1970 से ही भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवंटित होकर निरंतर कब्जे काश्त मे चली आ रही थी। पैराफेरी क्षेत्र स्थित भूमि के खातेदारी अधिकार देने के नियम व पद्वति तथा प्रणाली राज्य सरकार द्वारा प्रसारित की जा चुकी है। अपीलांट उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी है। अपीलाधीन आदेश निर्णय की परिभाषा में नही आता, क्योंकि उक्त निर्णय, प्रिटेंड प्रर्फोमा पर ही जारी किया गया है। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग नही किया गया। उक्त निर्णय साइक्लोस्टाईल निर्णय की परिभाषा में आता

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे व अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2006 निरस्त फरमाया जावें।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम चाण्डक एवं श्री संजीव कालिया उपस्थित हुए तथा रेस्पो0 संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा हाजिर आये एवं राज पैरोकार हाजिर हुए।

4. तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2006 पारित कर अपीलांट को सुने बिना, बिना साक्ष्य के अपीलांट के 47 वर्ष पुरानें टी.सी. आवंटन को अपने ही कयासो के आधार पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त टी.सी. आवंटन समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही तथा अपीलांट का कब्जा बदस्तूर बना रहा। अपीलांट ने उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। मातहत न्यायालय ने अपीलांट का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर खारिज कर दिया जबकि अपीलांट का उक्त रकबा नगरपालिका की सीमा परिधि से 8 किमी की ज्यादा दूरी पर है अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्व हो सके कि अपीलांट का रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। मौके पर अपीलांट का कब्जा है, जो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या 38/20 सीगा अनवान सरकार बनाम आशाराम पुत्र नानकराम मोची में अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन दिनांक 13.02.2020 को दिये गये नोटिस से स्पष्ट है। कई अवसरों पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार टी.सी. आवंटन खारिज करने में सक्षम नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला जैरअपील निर्णय में दिया है वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते। उक्त परिपत्र वेस्ट लैण्ड भूमियों के संबंध में थे जबकि अपीलांट की भूमि कृषि योग्य भूमि है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार उक्त शक्तियां जिला कलक्टर को दी गयी है। उक्त कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने कानूनी नजीर आरआरडी 2017 पेज 447, आरआरटी 2008 (1) नोटिफिकशन न. एफ 9 (15) रेवन्यू 6/2005 पेज 33, आरएलडब्ल्यू 2016 (I) रेवन्यू पेज 415, आरआरडी 1992 पेज 117, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी प्रकरण संख्या 8376/2006 अनवान मल्लूराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2013 की प्रतियों की ओर ध्यान दिलाया। तथा अपील अपीलांट स्वीकार करने तथा मातहत न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 03.06.2006 खारिज किया करने बाबत निवेदन किया।

5. पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया जाता है। उसके उपरान्त उक्त भूमि नगरपालिका की पेराफैरी व मास्टर प्लान में आ गयी, जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते तथा ना ही पुख्ता आवंटन किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. नगरपालिका, सूरतगढ़ के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील में वर्णित रकबा नगरपालिका को हस्तांतरित हो चुका है व नगरपालिका, सूरतगढ़ द्वारा इस रकबा में आबादी का विस्तार किया गया है व सडके बनवाई गई है। अपीलांट का उक्त रकबा सूरतगढ़ पैराफेरी क्षेत्र मे आने से टी.सी. आवंटन खारिज होने के बाद जब रकबा नगरपालिका को हस्तांतरण हो चुका है तो अपीलाधीन भूमि में अपीलांट का कोई हित नहीं है ना ही अपीलांट का कब्जा है। अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट निरस्त फरमायी जावे। कूाननी नजीर आरआरटी 2021 पेज 336, राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 08.02.2006, कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के पत्र दिनांक 11.07.2005 की ओर ध्यान दिलाया।

7. हमने बहस उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी तथा उस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 07.09.2006 में यह तथ्य स्वीकार किया है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 259 में 2.100 है0 व खसरा न. 260 में 4.200 है0 कुल 6.300 है0 रकबा अपीलांट को टी.सी. आवंटन हुआ था जो संवत् 2061 तक नवीनीकृत होता रहा। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

38/20 सीगा अनवान सरकार बनाम आशाराम पुत्र नानकराम मोची में अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन दिनांक 13.02.2020 को दिये गये नोटिस से स्पष्ट है कि मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन में राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 का हवाला देते हुए अपीलांट का उक्त टी.सी. आवंटन खारिज किया है। इसके अलावा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें, 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वेस्टलैण्ड हेतु बने सन 1996 के नियमों के अंतर्गत उक्त आवंटन खारिज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र दिनांक 15.12.2005 औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते, क्योंकि जैरप्रकरण भूमि अपीलांट को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी। इसी प्रकार राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक प. 9 (25) राज/16/2004/4 दिनांक 08.02.2006 शहरों में पैराफेरी क्षेत्र में आवंटित वेस्ट लैण्ड के संबंध में है, वह भी इस प्रकरण में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार जिला कलक्टर महोदय को है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन व विधिविरूद्ध होनें से त्रुटिपूर्ण है जों निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ द्वारा मिसल संख्या 19/2006 अनवान सरकार बनाम आशाराम पुत्र नानकराम में दिनांक 07.09.2006 को पारित निर्णय निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)